


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम कानाराम पुत्र सुजाराम जाट वगैरह निवासी कुचामनसिटी		
प्रा.पत्र नम्बर 663/2021		GCMS No.2021/747
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
7/12/2021	<p>वकील अप्रार्थी कानाराम, प्रभूराम वगैरह की ओर से श्री महेश शर्मा अधिवक्ता के द्वारा वकालतनामा एवं आवेदन प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कुचामनसिटी पटवार मण्डल कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 497 व 505 हैक्टर में अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त रूप से खातेदारी भूमि आई हुई है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थी के विरुद्ध एक-पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त खसरा की भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा कृषि उपयोग में ही लिया जा रहा है मौके पर किसी प्रकार अकृषि उपयोग में नहीं लिया गया है तथा उक्त कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लिये जाने से पूर्व निर्धारित रीति अनुसार सक्षम अधिकारी के यहाँ संपरिवर्तन/90 ए के तहत दर्ज कराकर ही उपयोग में लिया जावेगा जिसके लिए अप्रार्थीगण ने अण्डर टेकिंग दी है तथा शपथ-पत्र में भी उक्त तथ्य अंकित किये है। अप्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि में ऋण इत्यादि एवं कृषि सुधार कराना चाहता है जिसके स्थगन होने से आगे की कार्यवाही नहीं हो पा रही है, इसलिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे।</p> <p>प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपन-अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा इस शर्त के खारिज की जाती है कि अप्रार्थी शीघ्र ही अपनी उपरोक्त खसरा की भूमि को अकृषि प्रयोग में लिये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी के यहाँ से रूपान्तरित करवा ले। प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाना है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्त</p>	
 उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)		